

सं. 1/10/2009-पी.आई.सी.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक/7 अप्रैल, 2009

कार्यालय जापन

विषय : डैस्क अधिकारी के भत्ते का संशोधन - छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें ।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, इस विभाग के दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 के का.जा.सं.2/24/97-पी.आई.सी. के तहत निर्धारित डैस्क भत्ते की मौजूदा दरों को प्रतिमाह 300/-रूपए से बढ़ाकर 600/-रूपए प्रतिमाह करते हुए दुना करते हैं । भत्ते की दरों में प्रत्येक बार 25 % की वृद्धि होगी यदि संशोधित वेतनमानों पर देय मंहगाई भत्ता 50 % तक हो जाता है ।

2. इस विभाग के दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 के उपर्युक्त का.जा. में निर्दिष्ट अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी ।

3. संशोधित दरें 1 सितंबर, 2008 से प्रभावी होगी ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)

निदेशक

सभी मंत्रालय/विभाग, मानक सूची के अनुसार